

दिनांक 13/5/2023 को पेश हो।

13/5/2023

पञ्चावली पेश हुई। वकील की
अनुपस्थिति में कोर्ट का वाद आर्डर
9 निम्न ^(अनुपस्थिति में) द्वारा दिवानी में जारी
किया गया है। इसलिये अल्ट्राई
घाण्डा का कोई औचित्य नहीं
रह जाता है। इसलिये अल्ट्राई
घाण्डा जारी किया जाता है।
पञ्चावली मुसल कुरान होकर जम्बट
है कम ही। आदेश खुले न्यायालय
में हुआ है।


उप खण्ड अधिकारी
साँभर जेठ